मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2009

• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	20.11.2009
• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	20.12.2009
• परीक्षा दिनांक	21.02.2010 रविवार
• परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अ.पि.व. की अभ्यर्थियों के लिए : रू. 500/– अनु.जा./अनु.ज.जा./विकलांग के अभ्यर्थियों के लिए : रू. 250/–
उपरोक्त के अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– अतिरिक्त देय होगा।	

समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	पदकोड क्रमांक	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
21.02.2010 रविवार	01 से 05 तक	प्रातः 8:00 बजे से	प्रातः 8:00 बजे से	प्रातः 8:00 से 8:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 8:10 बजे	प्रातः 8:10 से 8:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 8:15 से 10:15 बजे तक (02 घंटे)
	06 से 11 तक	दोपहर 12:00 बजे से	दोपहर 12:00 बजे से	दोपहर 12:00 से 12:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:10 बजे	दोपहर 12:10 से 12:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 12:15 से 2:15 बजे तक (02 घंटे)
	12	सायं 4:00 बजे से	सायं 4:00 बजे से	सायं 4:00 से 4:10 बजे तक (10 मिनट)	सायं 4:10 बजे	सायं 4:10 से 4:15 बजे तक (05 मिनट)	सायं 4:15 से 6:15 बजे तक (02 घंटे)

टिप्पणी :–

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

अध्याय –1

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2009

चयन संबंधी अनुदेश :–

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र क्रं./बोर्ड कार्मिक/बी–1/2/विविध/29/2040, भोपाल, दिनांक 26.10.2009 के साथ प्राप्त विभागीय नियम व मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रं. 1241/1718/2008 /14–3 दिनांक 10.06.08 अनुसार रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2009 के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे :–

1.0 सामान्य :–

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो कि मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2009 के लिए आवेदन कर रहे हैं।

2.0 परिभाषाऍं :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

3.0 पदों का विवरण व वेतनमान

पद कोड क्रं.	प्रश्न–पत्र कोड क्रं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	1	सहायक संचालक	10	15600-39100+5400
2.	1	सहायक उपनिरीक्षक	687	5200-20200+2400
3.	1	मंडी सचिव वर्ग–अ	05	15600-39100+5400
4.	2	सहायक यंत्री (सिविल)	11	15600-39100+5400
5.	3	सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	01	15600-39100+5400
6.	4	उपयंत्री (सिविल)	42	9300-34800+3200
7.	5	उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल)	04	9300-34800+3200
8.	6	सहायक प्रोग्रामर	01	9300-34800+3200
9.	7	कनिष्ठ नगर निवेशक	01	9300-34800+3200
10.	8	कनिष्ठ अंकेक्षक	34	5200-20200+2400
11.	8	लेखापाल तृतीय	97	5200-20200+2100
12.	9	डाटा एंट्री आपरेटर	19	5200-20200+1900
		कुल पद :–	912	

3.1 शैक्षणिक अर्हताऍं :–

क.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
1.	सहायक संचालक	प्रथम श्रेणी में वाणिज्य/प्रबंधन/विज्ञान/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटरसाइंस/ एम.सी.ए./कृषि से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रथम श्रेणी में विधि/ बी.ई. कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि।
2.	सहायक यंत्री (सिविल)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।
3.	सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्किल इंजीनियरिंग प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।
4.	मंडी सचिव वर्ग–अ	न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कृषि/विज्ञान/प्रबंधन/अर्थशास्त्र /वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

5.	उपयंत्री (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
6.	उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
7.	सहायक प्रोग्रामर	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ई कम्प्यूटर साइंस/एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस) 60 प्रतिशत अंक सहित।
8.	कनिष्ठ नगर निवेशक	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ई.(आर्किट्रेक्चर)/आर्किट्रेक्चर में 55 प्रतिशत अंको के साथ 03 वर्षीय डिप्लोमा।
9.	कनिष्ठ अंकेक्षक	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य स्नातक।
10.	लेखापाल तृतीय	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य स्नातक।
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटरसाईंस/स्नातक–पी.जी.डी.सी.ए, 50 प्रतिशत अंक के साथ।
12.	सहायक उपनिरीक्षक	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि

3.2 पदवार आरक्षण तालिका :–

क्रं.	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		अन्य	
				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहायक संचालक	10	अनारक्षित	5	2	1 अस्थि बाधित	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	1	1	0	0	0	0	0	0
2	सहायक यंत्री (सिविल)	11	अनारक्षित	3	2	1 अस्थि बाधित	0	0	0	0	0
			अ.जाति	1	1	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	1	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	1	1	0	0	0	0	0	0
3	★सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	1	अनारक्षित	1	0	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0
4	मंडी सचिव–अ	5	अनारक्षित	3	1	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	1	0	0	0	0	0	0	0
5	उपयंत्री (सिविल)	42	अनारक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	9	2	1 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	1	0	0	0
			अ.ज.जा.	16	6	1 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	2	1	0	0
			अ.पि.वर्ग	1	0	0	0	0	0	0	0
6	उपयंत्री (इले.)	4	अनारक्षित	1	1	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	1	1	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सहायक प्रोग्रामर	1	अनारक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	0	1 अस्थि बाधित	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0

क्रं.	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		अन्य	
				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला
8	★कनिष्ठ नगर निवेशक	1	अनारक्षित	1	0	0	0	0	0	0	0
			अ.जाति	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	0	0	0	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कनिष्ट अंकेक्षक	34	अनारक्षित	9	5	2 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	1	0	0	0
			अ.जाति	2	1	1 अस्थि बाधित	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	3	1	1 अस्थि बाधित	0	1	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	3	1	1 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	0	0	0	0
10	लेखापाल तृतीय	97	अनारक्षित	28	12	3 अस्थि बाधित	2 श्रवण बाधित	3	1	0	0
			अ.जाति	7	3	2 श्रवण बाधित	1 अस्ति बाधित	1	1	0	0
			अ.ज.जा.	9	4	2 श्रवण बाधित	1 अस्ति बाधित	2	1	0	0
			अ.पि.वर्ग	8	3	1 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	1	0	0	0
11	डाटा एंट्री आपरेटर	19	अनारक्षित	5	1	1 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	1	1	0	0
			अ.जाति	1	1	1 श्रवण बाधित	0	0	0	0	0
			अ.ज.जा.	1	1	1 अस्थि बाधित	0	0	0	0	0
			अ.पि.वर्ग	1	1	1 श्रवण बाधित	0	0	0	0	0
12	सहायक उपनिरीक्षक	687	अनारक्षित	126	54	5 अस्थि बाधित	2 श्रवण बाधित	14	6	0	0
			अ.जाति	114	39	4 अस्थि बाधित	1 श्रवण बाधित	13	5	0	0
			अ.ज.जा.	235	47	8 अस्थि बाधित	3 श्रवण बाधित	5	6	0	0
			अ.पि.वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0
	योगः—	912		597	193	39	16	45	22	0	0

★ सरल क्रमांक–03, एवं 08 पर दर्शाये गये संवर्गो में एकांकी पद होने से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। योग्यता के आधार पर किसी भी प्रवर्ग से नियुक्ति दी जा सकेगी।

4.0 परीक्षा शुल्क :—

(1) रूपये 500.00 (रूपये पॉच सौ) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति अभ्यर्थी
(2) रूपये 250.00 (रूपये दौ सौ पचास) आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जन जाति/विकलांग) के प्रति अभ्यर्थी

5.0 चयन का आधार :—

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों, 100 अंकों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा, जिसका पाठ्यक्रम संलग्न है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिये पृथक–पृथक मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाकर मण्डी बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

5.1 पारस्परिक वरीयता :— योग्यता क्रम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट–उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिले, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जावेगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

5.2 चयनोपरांत प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी करने के पूर्व प्रमाण पत्रों का सत्यापन पारस्परिक वरीयता :— नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन राज्य मंडी बोर्ड द्वारा किया जावेगा तथा नियुक्ति के समय नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जायेगा। नियुक्ति के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जावेगा।

5.3 नागरिकता संबंधी :—

1. भारतीय नागरिक हो,
2. भारतीय व्यक्ति जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से बसा हो,
3. नेपाल की प्रजा होकर मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
4. म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नायब तहसीलदार (सक्षम प्राधिकारी) या उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

5.4 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :—

1. अनूसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. विकलांग अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 आयु सीमा / आयु गणना / आयु में छूट :—

सामान्य प्रशासन विभाग क्र सी—3—5 / 2001 / 3 / 1 दिनांक 17.08.04 एवं सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी—3—11 / 84 / 3 / 1 दिनांक 24.04.84 तथा सी—3—25 / 88 / 3 / 49 दिनांक 29.03.89 एवं वर्ग विशेष उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग के तत्संबंध में जारी परिपत्रों अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.09 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगी :—

(अ) अनारक्षित पुरूष उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष एवं अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष।
(ब) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष एवं महिला उम्मीदवार के लिए 50 वर्ष।
(स) सामान्य वर्ग की विधवा / परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 50 वर्ष तथा आरक्षित प्रवर्ग की विधवा / परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 55 वर्ष।
(द) शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 314 / सी.आर0 / 102 / 1 दिनांक 26.06.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जावेगी।
(ई) मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी—3 / 86 / तीन / 1 दिनांक 01.01.87 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जावेगी।

5.6 उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार छूट :—

क्रं.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1	पुरूष	सामान्य / अनारक्षित	35 वर्ष
2	पुरूष	आरक्षित — अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग	35+5 = 40 वर्ष
3	महिला	आरक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग	35+10+5 = 50 वर्ष
4	महिला	सामान्य वर्ग— विधवा / परित्याक्ता / तलाकशुदा आरक्षित — अनु.जाति / अनु.जन जाति / अन्य पि. वर्ग विधवा / परित्याक्ता / तलाकशुदा	35+10 = 45 वर्ष 35+10+5 = 50 वर्ष 35+10+5+5 = 55 वर्ष

6.0 परीक्षा केन्द्र :– भोपाल, जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर (यदि निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में से किसी केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो उनकी परीक्षा भोपाल केन्द्र पर आयोजित की जावेगी।)

7.0 प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का विवरण :–

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3–40–आ.–84–(3)1, दिनांक 11.01.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

2. आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरूष्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–10–85–3–1, दिनांक 03.09.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3. विक्रम पुरूष्कार से सम्मानित, खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–18–85–3–1, दिनांक 03.09.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

8.0 अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में निर्हताए / जानकारी जैसे :–

1. पररूप धारण।

2. ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जावेगा।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अनर्ह माना जावेगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो लिखित परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अनर्ह नहीं माना जावेगा।

4. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध अपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, लिखित परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अनर्ह होगा।

5. मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।

6. फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगा।

9.0 न्याय क्षेत्र / अधिकार :– भोपाल / प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

नोट – 1. चाहे गये समस्त प्रपत्र म0प्र0शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के समय मंडी बोर्ड को प्रस्तुत किये जावेगें।

2. आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करेगें।

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
निर्धारित शर्ते

1. चयनित उम्मीदवारों को प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अविध में उम्मीदवार को वेतनमान तथा उस पर देय मंहगाई व अन्य भत्ते शासन के नियमानुसार प्राप्त होगें। परिवीक्षा अवधि की सेवाओं का निष्पादन अनुबंध(बॉड) द्वारा किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
3. आवेदक द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दबाव/प्रभाव डालने पर उसे नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
4. पद रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
5. आवेदक भारतीय नागरिक होकर मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
6. आवेदक मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आकर मध्यप्रदेश में बसकर एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी बन गया हो।
7. आवेदक नेपाल की प्रजा होकर मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
8. आवेदक भारत के संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व सरकार या स्थानीय अधिकारी सेवा में आये और तभी से ऐसी सेवा में बने रहे हो।
9. पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही जीवित पत्नि हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी।
10. उम्मीदवार को राज्य शासन के चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदक शासन या स्थानीय प्राधीकारी की सेवा के कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया हो, तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए अनर्ह घोषित न किया गया हो।
12. आवेदक को नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
13. दिनांक 11.05.2000 से जो व्यक्ति विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा उसे राज्य मंडी बोर्ड सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य माना जावेगा।
14. दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिन महिला/पुरूषों को दो बच्चों से अधिक बच्चे उत्पन्न होगें उन महिला एवं पुरूषों को मंडी बोर्ड सेवा के तहत् लाभ अथवा सुविधाऐं प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
15. चयनित उम्मीदवार का प्रथमतः चरित्र सत्यापन कराया जायेगा, पुलिस विभाग से उनके संबंध में किसी प्रकार की अनुचित जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
16. उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा, असत्य जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

पदों की पूर्ति एवं विवाद की स्थिति में संस्था के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

1.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

2.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.2 स्क्रुटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(i)	अभ्यर्थी का फोटो	(ii)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	(iii)	श्रेणी
(iv)	संवर्ग	(v)	मूल निवासी	(vii)	जन्मतिथि
(vi)	पद जिसके लिए आवेदन किया गया है।	(vii)	लिंग		

उपरोक्त जानकारी रिक्त,गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

2.3 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(i) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रू. 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रू. 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो कि परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.4 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट – प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.5 परीक्षा शहर :–

यह परीक्षा निम्नलिखित शहर में आयोजित की जायेगी :– भोपाल, जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर

2.6 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.7 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.8 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं दंड के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मंडल उचित समझे, मंडल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

2.10 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :– परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83.00$$

2.11 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2.13 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.15 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.16 अनर्हताएँ :–

1. जो महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित हो।
2. 26 जनवरी 2001 के बाद की उम्मीदवार की तीसरी संतान हो। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होंगे।
3. जिस आवेदक द्वारा :–
   - अ. पररूपण धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
   - ब. किसी महिला से पदरूपण धारण कराया हो–किया हो, या
   - स. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
   - द. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
   - इ. चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
   - ई. परीक्षा में किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाली आवेदिकाओं को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :–

(1) विभाग द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या

(2) उसे स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :–

(क) विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(ख) राज्य शासन द्वारा या तथा उनके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो, तो उपरोक्त नियमों के कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि :–

(अ) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो,

(ब) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

(स) प्रत्येक आवेदक से अपेक्षा है कि वह आवेदन–पत्र में सही जानकारी भरे। आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी को ही मना जाएगा एवं इस संदर्भ में आवेदक की अन्य कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

2.17 क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––